

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05.01.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नत्था सिंह राणा, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री शरद कुमार टट्टा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.920 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 1.54 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रशंगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2200 मी० नाप भूमि से, 5600 मी० सिविल भूमि से, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 1.54 हे० नाप भूमि 3.92 हे० सिविल भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.92 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 777 वृक्ष व नापभूमि 170 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 1800 मी० नाप भूमि से, 6000 मी० सिविल भूमि, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में 1.26 हे० नाप भूमि, 4.20 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.20 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान $79^{\circ}19'40.15'' - E$, $30^{\circ}23'25.84'' - N$ है तथा यह स्थल चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखन का अन्तिम स्थल ग्राम चलथर है, जिसका जी०पी०एस० मान $79^{\circ}20'5.82'' - E$, $30^{\circ}22'14.58'' - N$ है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखन पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान $79^{\circ}19'39.35'' - E$, $30^{\circ}23'24.63'' - N$, $79^{\circ}19'40.79'' - E$, $30^{\circ}23'2.41'' - N$, $79^{\circ}19'56.51'' - E$, $30^{\circ}22'48.77'' - N$, $79^{\circ}20'39.31'' - E$, $30^{\circ}22'32.30'' - N$, $79^{\circ}20'41.91'' - E$, $30^{\circ}22'23'' - N$, $79^{\circ}20'32.42'' - E$, $30^{\circ}22'25.78'' - N$, $79^{\circ}20'6.60'' - E$, $30^{\circ}22'15.59'' - N$, है।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

A. K. Chandel

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली पोल
वन विभाग गोपेश्वर

Joshi
D. E.

सहायक अभियन्ता

अभियन्ता अभियन्ता
प्रान्तीय प्राधिकार विभाग
गोपेश्वर

चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

चमोली
चमोली
चमोली

चमोली
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर

उप निरीक्षक
चमोली

प्रमाणित किया जाता है
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर